

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन,

आत्मा सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. अजमेर कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. चरणजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. छिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. हरप्रीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. मनप्रीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. बलतेज सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र ईशर सिंहजाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. बलवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
9. भगवान सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. बुटा सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. चितन कौर पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
12. छोटी पुत्री ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
13. हैप्पी पुत्र जगदेव सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
14. गुरमेल सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
15. जगदेव सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
16. दर्शन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
17. इन्द्रपाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
18. निहाल कौर पत्नी हरदयाल सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
19. पाल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
20. बलकरण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- 21 बलराज सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 22 राम कौर पत्नी ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 23 जगमेल सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 24 सुखदेव सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 25 सरजीत कौर पुत्री ईशर सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 26 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया
- 27 बसंत कौर पत्नी मखन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 28 किरणपाल कौर पुत्री मखन सिंह पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख सा. चकहीरा सिंह वाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

मु. स. 71/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादी व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :-

चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 3/23 में कुल 0.759 है0 कब्जाकाशत की आराजी:-

बलराज सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान:-
 $144/155 \quad 5 \quad 11/.253 = 0.253$ है0

आत्मा सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान :-
 $144/155 \quad 5 \quad 20-21/.253$ है.प्र = 0. 506 है0

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री/भू.अ./024/272 दिनांक 18-07-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2024 को जारी की गई।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया